न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 46/2025

प्रार्थीया :-

1. बेलुडी पत्नी गोपाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी - श्री अरिहंत तातेड, अधिवक्ता।
अप्रार्थी- सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :- 09/5/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रणसीगांव, पटवार हल्का रणसीगांव, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रणसीगांव, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारीसुदा, संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 189 रकबा 3.1551 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ आई हुई है। जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा निहित व दर्ज है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 291 पर प्रार्थीया के नाम दर्ज है। सबूत के तौर पर जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थीया का नाम बेलुड़ी पत्नी गोपाराम के स्थान पर बालुड़ी पत्नी गोपाराम दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम बेलुड़ी पत्नी गोपाराम है। जिसके सबूत के तौर पर प्रार्थीया के आधारकार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजों की प्रतियों साथ संलग्न पेश है। जिसमें प्रार्थीया का सही नाम बेलुड़ी पत्नी गोपाराम दर्ज है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में बेलुड़ी पत्नी गोपाराम के स्थान पर बालुड़ी पत्नी गोपाराम दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेजों की ज०च नही की गयी व न ही प्रार्थीया को सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया गया। इसलिए प्रार्थीया को अपना गलत नाम बालुड़ी पत्नी गोपाराम के स्थान पर सही नाम बेलुड़ी पत्नी गोपाराम दर्ज करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ रहा है। प्रार्थीया को अपनी भूमि पर सुधार कार्य व अपनी घरेलु आवश्यकता हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से ऋण प्राप्ति हेतु वर्तमान जमाबन्दी की प्रतिलिपि लेने हेतु हल्का पटवारी के पास गयी तथा हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की तो प्रार्थीया को जानकारी में आया कि प्रार्थीया का नाम बेलुड़ी पत्नी गोपाराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में बालुड़ी पत्नी गोपाराम दर्ज है जिस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी को राजस्व रेकर्ड व अपने

सरकारी दस्तावेजों की फोटो प्रतियों दी तथा उपरोक्तानुसार नाम शुद्ध करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को यह कहते हुए नाम शुद्ध करने से मना कर दिया कि इस हेतु माननीय न्यायालय सक्षम है। प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड में उक्त गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थीया उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी प्रकार का कोई ऋण वगैरा नही ले सकती है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम बालुड़ी पत्नी गोपाराम के स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम बेलुड़ी पत्नी गोपाराम दर्ज किये जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 189 रकबा 3.1551 हैक्टेयर वाके ग्राम रणसीगावं के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीया का गलत नाम बालुड़ी पत्नी गोपाराम के स्थान पर प्रार्थीया के सरकारी दस्तावेज अनुसार उसका सही नाम बेलुड़ी पत्नी गोपाराम दर्ज किये जाने का आदेश अप्रार्थी को जारी फरमाया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रणसीगांव की सीमा में स्थिति खसरा सं. 189 रकबा 3.1551 हैक्टयर किस्म बारानी चारम आई हुई है जिसमें प्रार्थीया का वर्तमान में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता सं. 291 में 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीया का प्रथम बार राजस्व रेकर्ड में नाम विरासत नामा.सं. 5676 दिनांक 31.07.2023 के जरिये गोपाराम पुत्र बचनाराम 1/2 हिस्सा के स्थान पर बालुडी पत्नी गोपाराम 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ, जो आदिनांक चल रहा है। प्रार्थीया द्वारा साक्ष्य के रूप में सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, परिचय पत्र इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम बेलुडी होना बताया। प्रार्थीया की ईस्तदुआ है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि बालुडी पत्नी गोपाराम के स्थान पर बेलुडी पत्नी गोपाराम दर्ज करवायें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सरकारी दस्तावेज के आधार पर ग्राम रणसीगांव के खसरा सं. 189 रकबा 3.1552 हैक्टयर किस्म बारानी चारम में दर्ज प्रविष्टि बालुडी पत्नी गोपाराम 1/2 हिस्सा के स्थान पर बेलुडी पत्नी गोपाराम 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में शुद्ध किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरुस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यों को दोहराया और दुरुस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खसरा नंबर 189 रकबा 3.1552 हैक्टयर किस्म बारानी चारम प्रार्थीया का नाम बालुडी पत्नी गोपाराम के

नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो एक लिपिकीय त्रुटी मालूम पड़ती है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम रणसीगांव तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 189 रकबा 3.1552 हैक्टयर में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दुरुस्ती की जाकर प्रार्थीया का नाम बालुडी पत्नी गोपाराम के स्थान पर बेलुडी पत्नी गोपाराम नाम दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09/11/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा